उत्तराखण्ड शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 1577 /VI(1)/2019-03(05)/2015 टी०सी०

देहरादून: दिनांक 06 नवम्बर,2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम,2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष,2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली,2018 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली,2019"

नाम, विस्तार एवं 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली,2019 है।

(2) यह नियमावली, नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

का संशोधन 2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली,2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) में नियम 4 के उपनियम (3) में निम्नवत् परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यह कि पुराने भवनों की वर्तमान संरचना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी:-

(क) सुविधाओं के उच्चीकरण, आन्तरिक साज-सज्जा, अनुरक्षण एवं नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य।

(ख) शौचालयों के निर्माण सम्बन्धी कार्य, जिनमें दो लाख रूपये से अनधिक की धनराशि का व्यय निहित हो।"

आज्ञा से

दिलीप जावलकर

सचिव

संख्या- 161 (1)/VII(1)/2019-03(05)/2015 T.C. तद्दिनांकित

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(2) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।

(4) आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।

(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(8) स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

(9) समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(10) निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा गजट की 500 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।

(11) गार्ड फाईल।

(अतुल कुमार सिंह)
अनु सचिव